न्यायालय : राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, [म0प्र0]

निगरानी प्र0क्र0/ /015

निगरानी प्र0क्र0 पर ...

R 5177-III/15

01- विनायक प्रसाद ब्रा0 उम्र-52 साल] -दोनो पुत्रगण मंगलेश्वर प्रसाद ब्रा0

02- रामचरण ब्रा0 उम्र-42 साल]

03- मंगलेश्वर प्रसाद ब्रा0 उम्र-80 साल तनय देव नारायण ब्रा0 सभी निवासी डिहिया पो0 जुडमनिया, थाना नईगढी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0.

------ आवेदकगण.

विरूद्ध

वृन्दावन तनय मंगलेश्वर प्रसाद ब्रा0 उम्र-60 साल निवासी ग्राम भुअरी, थाना लौर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0.

------ अनावेदक

श्री. शिवप्रसाद द्विवेदी ... द्वारा आज दिनांक 20-11-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी, तह0 मऊगंज जिला रीवा, प्र0क्र0 2-बी-129/14-15 [वृन्दावन विरूद्ध विनायक प्रसाद वगै0] दिनांक 16.10.015 मे पारित ।

मान्यवर,

आवेदन से संबंधित तथ्य -

[अ] अनावेदक ने भूमि नं0 45, 46, 47, 48, 50 एवं 44/1 स्थित ग्राम भुअरी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा के संबंध मे पूर्व मे एक व्यवहार वाद माताजी से दायर कराया था, जो व्यवहार वाद आपसी सहमति के आधार पर 25.04.014 को माता जी ने प्रकरण की पैरवी छोड दिया तदनुसार निरस्त हो गया ।

निरंतर..2पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. -5177–दो–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश विनायक प्रसाद / बृन्दावन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–3–2016	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 2।बी–129 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 16.10.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया । निगरानी मेमो के अवलोकन पश्चात उसमें अंकित तथ्यों एवं प्रश्नाधीन आदेश का परिशीलन किया गया। परिशीलन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अभी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित हुए हो। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आवेदकों की ओर से प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर आवेदक के मात्र लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य हेतु नियत किए जाने का आदेश दिया गया है, प्रकरण में अभी विवेचना एवं गुणदोष के आधार पर निर्णय होना शेष है जहां पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उभयपक्ष को सुनवाई का एवं पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप प्रथमदृष्ट्या निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	